तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल0आर0/6432/2001/भरतपुर** **सरकार बनाम रामभरोसी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-11-2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थितः-** श्री करण गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी। श्री रोहित सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी। -- **आदेश** यह रेफरेंस जिला कलक्टर, भरतपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 एवं सपठित धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 31-03-2001 द्वारा अनुशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, भरतपुर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा भरतपुर के चक नंबर 2 के आराजी खसरा नंबर 975 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने से पूर्व में मिलकियत सरकार में आबादी देह के नाम अंकित थी। उक्त आराजी का किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन नहीं किया गया। उक्त विवादित आराजी पर सर्वप्रथम भुल्लन पुत्र हुकमी ने अपने नाम रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि को दर्ज करवा लिया एवं शेष भूमि पर मु0 चम्पी बेवा किशोरी के नाम गैर खातेदारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्द्राज बिना किसी सक्षम आज्ञा एवं नामांतरकरण के राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर के किया गया है जो नियमों के विपरीत है। तत्पश्चात नामांतरकरण संख्या 1405 से खातेदारी का नामांतरकरण तहसीलदार, भरतपुर द्वारा दिनांक 16-09-1972 को स्वीकृत किया गया था। जबकि गैर मुमकिन भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। मु0 चम्पी के आराजी मुतदाबिया को अप्रार्थी संख्या 1 रामभरोसी को बेचान कर दिया जिसका नामांतरकरण संख्या 1552 दिनांक 02-12-1973	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल0आर0/6432/2001/भरतपुर** **सरकार बनाम रामभरोसी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 रामभरोसी द्वारा आराजी मुजदाबिया नगर परिषद/नगर सुधार न्यास की सीमा के शहर भरतपुर के मध्य स्थित है। जिस पर किसी भी व्यक्ति को धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ना तो आवंटन किया जा सकता है और ना ही निजी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31-03-2001 द्वारा अनुशंषा करते हुए यह रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रेषित किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि कस्बा भरतपुर के चक नंबर 2 के आराजी खसरा नंबर 975 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने से पूर्व में मिलकियत सरकार में आबादी देह के नाम अंकित थी। उक्त आराजी का किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन/नियमन नहीं किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि उक्त विवादित आराजी पर सर्वप्रथम भुल्लन पुत्र हुकमी ने अपने नाम रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि को दर्ज करवा लिया एवं शेष भूमि पर मु0 चम्पी बेवा किशोरी के नाम गैर खातेदारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्द्राज बिना किसी सक्षम आज्ञा एवं नामांतरकरण के राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर के किया गया है जो नियमों के विपरीत है। तत्पश्चात नामांतरकरण संख्या 1405 से खातेदारी का नामांतरकरण तहसीलदार, भरतपुर द्वारा दिनांक 16-09-1972 को स्वीकृत किया गया था। जबकि गैर मुमकिन भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। मु0 चम्पी के आराजी मुतदाबिया को अप्रार्थी संख्या 1 रामभरोसी को बेचान कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल0आर0/6432/2001/भरतपुर** **सरकार बनाम रामभरोसी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया जिसका नामांतरकरण संख्या 1552 दिनांक 02-12-1973 स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 रामभरोसी द्वारा आराजी मुजदाबिया नगर परिषद/नगर सुधार न्यास की सीमा के शहर भरतपुर के मध्य स्थित है। जिस पर किसी भी व्यक्ति को धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ना तो आवंटन किया जा सकता है और ना ही निजी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित आराजी पूर्व में गैर मुमकिन खाई के रूप में चली आ रही थी जो सार्वजनिक उपयोग की है जिसके द्वारा पानी का निकास किया जाता था। अप्रार्थीगण को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है जो नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आराजी मुतदाबिया का नियमानुसार एवं विधिवत रूप से अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात मु0 चम्पी की खातेदारी के बाद विधिवत रूप आराजी अप्रार्थी संख्या 1 रामभरोसी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई। रामभरोसी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा उक्त आराजी में से 1/12 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को बेचान कर दिया। तभी से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि उक्त आराजी पर दो पक्की दुकानों का निर्माण किया जा चुका है एवं आराजी के चारों ओर नींव भरी हुई है। आराजी पर दुकानों के निर्माण बाबत नगर परिषद की मंजूरी दिनांक 24-03-1975 को प्राप्त कर जी गई थी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी मु0 चम्पी को विधिवत आवंटन की गई। दौराने आवंटन नगर परिषद संस्था का कोई अस्तित्व नहीं था। केलव नगर पालिका थी जो शहर के परकोटे के अंदर थी। आराजी दौराने आवंटन नगर पालिाक की सीमा में नहीं थी। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का पिछले 45 वर्षों से कब्जा चला आ रहा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल0आर0/6432/2001/भरतपुर** **सरकार बनाम रामभरोसी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत रेफरेंस को खारिज करने का निवेदन किया। हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरा नंबर 975 रकबा 2 बीघा 12 वाके ग्राम चक नंबर 2 भरतपुर किस्म गैर मु0 तहसील एवं जिला भरतपुर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभावी होने से पूर्व में मिलकियत सरकार में आबादी देह के नाम अंकित थी। जिसका कभी-भी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवंटन/नियमन नहीं किया गया। उक्त विवादित आराजी पर सर्वप्रथम मृतक भुल्लन पुत्र हुकमी मानी सा0 कुम्हेर दरवाजा रकबा 1.12 पर मिल्लित राजस्व कर्मचारी/अधिकारी के इन्द्राज करवाया एवं शेष भूमि मकवूजा राज अंकित करते हुये भुल्लन मजदुर निस्प मु0 चम्पी बेवा किशोरी कौम माली सा0 कुम्हेर गेट सिकमी की हैसियत से अंकित कराया। इस प्रकार का इन्द्राज कराने का कोई वैधानिक तरीका नहीं है। संवत 2015 रबी की फसल के वक्त अनाधिकृत रूप से विवादित आराजी पर मु0 चम्पी बेवा किशोरी का नाम वगरज नाजायज व मिल्लित राजस्व अधिकारीयों के अंकित कराया। उक्त विवादित आराजी पर बिना किसी सक्षम आज्ञा/नामांतरकरण गैर मुमकिन भूमि पर मु0 चम्पी को राजस्व अभिलेखों में गैर खातेदार अंकित करा दिया जबकि इस प्रकार की भूमि पर गैर खातेदार लिखने का कोई अधिकार नहीं था। मृतक चम्पी बेवा किशोरी लाल ने व मिल्लित राजस्व कर्मचारी/अधिकारीयों के जरिये नामांतरकरण संख्या 1405 दिनांक 16-09-1972 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जबकि गैर मुमकिन भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। वादग्रस्त भूमियां गैर मुमकिन भूमियां थी। उक्त गैर मुमकिन भूमियों को अप्रार्थी पक्ष को कभी-भी किसी सक्षम प्राधिकारी और आवंटन व नियमन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल0आर0/6432/2001/भरतपुर** **सरकार बनाम रामभरोसी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाना सिद्ध नहीं होता है। वादग्रस्त भूमियों पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत करते हुये बिना किसी सक्षम एवं विधिक अधिकार के गैर सिकमी दर्ज करवा लिया गया। उक्त गैर मुमकिन भूमि शहर के पानी की खाई के रूप में चली आ रही थी। जिन पर किसी प्रकार के गैर खातेदारी अधिकार दिया जाना धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पूर्णतया निषेध है। इस प्रकार के गैर खातेदारी अधिकार का अंकन व उसके पश्चात उक्त भूमियों पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के विधिपूर्ण आदेश के बिना नामांतरकरण के द्वारा खातेदारी अधिकार अंकन किया गया जो पूर्णतया विधि विरूद्ध पाया जाता है। अतः उक्त रेफरेंस स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है और वादग्रस्त भूमियों के संबंध में विधि विरूद्ध स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1405 एवं 1552 अपास्त योग्य होने से अपास्त किये जाते है। वादग्रस्त भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में पूर्वानुसार गैर मुमकिन खाई राजकीय भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की सूचना अधिवक्तागण को दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	